भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5049

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत भुगतान

5049. श्री राजीव राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की कोई राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बकाया का केंद्रीय भाग कितना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले वित्तीय वर्ष की देय और स्वीकार्य लंबित देय राशि , यदि कोई हो , की प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार , वित्त वर्ष 2023-24 तक देय और स्वीकार्य लंबित देय राशि राज्य को पहले ही जारी कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (26.03.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कुल 9,739.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं , जिसमें मजदूरी घटक

के लिए 6,585.39 करोड़ रुपये और सामग्री एवं प्रशासनिक घटकों के लिए 3154.49 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

.